<u>Office Of The District Legal Services Authority, Deoghar</u>

Phone No.06432-275496 Email; - deoghardlsa@gmail.com

DLSA/DEO/Letter No. 12 Dated: - 04.01.2020

From: - Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

To,
The Deputy Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
Ranchi.

Ref.: - <u>Letter No. JHALSA/928 dated 21.03.2016.</u>

Sir,

In compliance of above letter No., I am sending herewith the required information regarding details of programmes and other activities of the District Legal Services Authority, Deoghar for the month of December, 2019 including the programme relating to Legal-aid to poor and number of beneficiaries of different categories and alternative dispute Resolution Mechanisms- ADR Centers, Permanent Lok Adalats / Lok Adalats. No. of cases disposed off, no. of Lok Adalat held etc. during the Month of December, 2019

Activities of DLSA, Deoghar for the month of December, 2019

Legal-aid Beneficiaries

Sl. No	Month	No. of Persons benefited
1	December, 2019	158

Legal Awareness Camp

Sl. No	Month	No. of Legal Awareness Camp	No. of Persons benefited in Awareness Camp
1	December, 2019	18	409

Lok Adalats (Monthly/ National/ Mega)

Sl. No	Month	Name of Lok Adalat	Date	Cases disposed (including pre-litigation)	Amount Settled (In Rs.)
1	December, 2019	National Lok Adalat	--	--	--
2		Monthly Lok Adalat	--	--	--

Jail Adalats

Sl. No	Date	No. Case disposed off	No. of Jail imprisoner released
1	22.12.2019	--	--

Activities in DLSA

December' 2019

1. 01.12.2019– Legal Awareness Camp at Sadar Hospital, Deoghar, on the occassion of **World Aids Day,**
2. 03.12.2019- Legal Awareness Camp at Dumb,deaf and blind school, Chanddih, Deoghar on the occassion of **World Disability Day.**
3. 07.12.2019- Training programme for PLVs.
4. 09.12.2019 to 11.12.2019- Special Drive of Mediation for Family Court.
5. 10.12.2019- Legal Awareness Camp at Matrimandir Girls High School on the occassion of **Human Rights Day.**
6. 10.12.2019- Meeting of DLSA and Under Trial Review Committee.
7. 17.12.2019-Visit to RainBasera in Deoghar.
8. 22.12.2019 - Jail Adalat at Central Jail, Deoghar.
9. 22.12.2019- Legal Awareness Camp at Central Jail, Deoghar.
10. 01.12.2019- Legal Awareness Camp at Jiyakhara, Sarwan.
11. 03.12.2019 - Legal Awareness Camp at Hasaldiha, Deoghar.
12. 04.12.2019- Legal Awareness Camp at Bammandih.
13. 06.12.2019 - Legal Awareness Camp at Deoghar.
14. 08.12.2019- Legal Awareness Camp at Pathrol.
15. 11.12.2019 - Legal Awareness Camp at Chetnari, Margomunda.
16. 15.12.2019 – Legal Awareness Camp at Dhodsa, Devipur
17. 18.12.2019 – Legal Awareness Camp at Bhabhika, Sarwan.
18. 23.12.2019 – Legal Awareness Camp at Koriyasa, Chitra.
19. 25.12.2019 – Legal Awareness Camp at Dharpa, Chitra.
20. 29.12.2019 - Legal Awareness Camp at Pokhariya, Sonaraithari.
21. 29.12.2019- Legal Awareness Camp at Kusmaha, Deoghar.

Activities at Mediation Centre for the month of December, 2019

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Unsettled / No Mediation	Pending
1	December, 2019	48	20	14	49

Activities at Permanent Lok Adalat for the month of December, 2019

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Pending
1	December, 2019	01	02	62

Sincerely yours,
Sd/-
Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

Encl: - Photo copy of news paper cuttings.

दैनिक जागरण 12.12.19

पहल | विशेष मध्यस्थता अभियान में कई पारिवारिक विवादों का समाधान, तीन दिवसीय अभियान के लिए बनाए गए थे पांच बेंच

टूटे परिवार को जोड़ने में डालसा महत्वपूर्ण कड़ी

न्याय सदन परिसर में आयोजित शिविर का बुधवार को निरीक्षण करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडेय सचिव प्रताप चंद्र • जागरण

संवाद सूत्र, देवघर : नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को न्याय सदन परिसर में तीन दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान का समापन हुआ। यह अभियान बीते नौ दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सफलता पूर्वक संचालित हुआ, जिसमें आपसी रायशुमारी से पारिवारिक विवाद के कई मामलों का निष्पादन हुआ।

मामले को निष्पादित करने के लिए पांच बेंच बनाए गए थे। प्रत्येक बेंच पर मध्यस्थ के रूप में पैनल अधिवक्ता बैठे हुए थे। जो मामलों को निष्पादित करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडेय ने कहा कि डालसा के द्वारा मिल रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को बढ़-चढ़कर लेना चाहिए तथा आपसी मतभेदों को भूलाकर खुशीपूर्वक दांपत्य जीवन का आनन्द लेना चाहिए। प्रेम से परिवार फलता-फूलता है, जबकि विवाद से परिवार टूटकर बिखर जाता है, जिससे परिवार का विकास रुक जाता है। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से मामलों को सुलझाने की सलाह दिया। डालसा टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका लाभ आम लोगों को लेना चाहिए। इसमें समय और फिजुल खर्ची से लोग बचते हैं। लोक अदालत का लिया गया फैसला अंतिम होता है तथा इसके खिलाफ अपील भी नहीं होती। साथ ही साथ दोनों पक्षों की जीत होती है।

शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांचो बेंचों में घूम-घूमकर विवादों के निपटारे के लिए टिप्स देते नजर आए ताकि अधिक से अधिक लोगों को शिविर का लाभ मिल सके। मौके पर फैमिली कोर्ट के जिला जज निकेश कुमार सिन्हा, डालसा के सचिव प्रताप चंद्र के अलावे कई लोग शामिल थे।

प्रभात खबर 21.12.2019

केंद्रीय कारा में 22 को जेल अदालत

देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश नारायण पांडेय के निर्देश पर 22 दिसंबर को केंद्रीय कारा देवघर में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन होने जा रहा है. यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में होने जा रहा है. इसमें सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा डालसा के पैनल अधिवक्ता शिरकत करेंगे व कानूनी जानकारी देंगे. साथ ही बंदियों के आवेदनों पर सुनवाई की जायेगी व उचित आदेश पारित किया जायेगा. प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छोटे-छोटे मामलों में जो भी बंदी केंद्रीय कारा में हैं, उन्हें दोष स्वीकार करने के बाद राहत मिल सकती है. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है.

दैनिक जागरण 21.12.19

केंद्रीय कारा में जेल अदालत 22 को

संसू, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को केंद्रीय कारा परिसर में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। डालसा के सचिव प्रताप चंद्र ने बताया कि शिविर में बंदियों को कानून से संबंधित बातों की जानकारी दी जाएगी।

प्रभात खबर 10.12.2019

आयोजन. विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू

12 मामले निष्पादित

विधि संवाददाता ▷ देवघर

फैमिली कोर्ट पहुंचे लोग.

हाइकोर्ट के निर्देश पर फैमिली कोर्ट में चल रहे पारिवारिक मामलों के निष्पादन के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया गया है. इस अभियान का समापन 11 दिसंबर को होने जा रहा है जिसमें सुलह के आधार पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है. बताया गया है कि पहले दिन 12 मुकदमों का निष्पादन सुलह के आधार पर किया गया. फैमिली कोर्ट से 26 मामलों को भेजा गया था जिसमें से 12 पारिवारिक मामलों में सुलह हुआ यानि कि बिखरे एक दर्जन परिवारों को मिलाया गया. मामलों की सुनवाई के लिए कई बेंच बनाये गये थे जिसमें एक-एक मीडियेटर को जिम्मेवारी दी गयी थी. मामलों की सुनवाई के दौरान दूर-दूर से लोग आये थे. समझौता के दौरान फैमिली कोर्ट के प्रधान जज निकेश कुमार सिन्हा हर बेंच पर पहुंचे व जायजा लिये.

फैमिली कोर्ट के जज ने कहा

फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश निकेश कुमार सिंह कहते हैं कि यह अभियान हाइकोर्ट के निर्देश पर चलाया गया है, जो तीन तीनों का है. पहले दिन एक दर्जन मामलों का निष्पादन हुआ व आगे दो दिन में कई मामलों में सुलह के आसार हैं.

न्याय सदन में विशेष मध्यस्थता अभियान

देवघर. हाइकोर्ट रांची के निर्देश पर देवघर फैमिली कोर्ट के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत पारिवारिक मामलों की सुनवाई दूसरे दिन भी हुई. मामलों की सुनवाई के लिए मध्यस्थ को जिम्मेवारी दी गयी है जिसका मुआयना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडेय, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज निकेश कुमार सिन्हा व डालसा सचिव प्रताप चंद्र कर रहे हैं. 11 दिसंबर को इस अभियान का समापन होगा.

प्रभात खबर 11.12.2019

DAINIK JAGARAN 11/12/19

समाचार सार

कानून की नजर में बेटा-बेटी एक समान

मानवाधिकार दिवस पर मातृ मंदिर बालिका उवि में उपस्थित छात्राएं • जागरण

संसू, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मंगलवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं को कानून की जानकारी दी गई। मौके पर डालसा के सचिव प्रताप चंद्र ने कहा कि कानून की नजर में बेटा और बेटी एक समान है। बेटियों को कभी भी अपने को कम नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने संपत्ति का अधिकार, नैतिक शिक्षा, शिक्षा अधिकार अधिनियम सहित कानून से संबंधित कई अन्य बातों की जानकारी दी। कहा कि कानून की नजर में सभी एक समान है, इसलिए लड़कियों को भी अनुशासन प्रिय बनकर इस समानता का लाभ लेते हुए सतत आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पैनल अधिवक्ता फाल्गुनी मरीक कुशवाहा एवं संजय मिश्र ने भी छात्राओं को कानून से संबंधित कई बातों की जानकारी दी। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजनारायण खवाड़े, शिक्षक अंबुज मिश्रा, पूनम मिश्रा समेत विद्यालय व डालसा परिवार के कई सदस्य मौजूद थे।

प्रभात खबर 11.12.2019

अपने अधिकारों के प्रति सदैव रहें सजग : प्रताप

मंचासीन डालसा सचिव प्रताप चंद्र व अन्य.

विधि संवाददाता ▷ देवघर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थानीय मातृ मंदिर कन्या हाइस्कूल में मानवाधिकार दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर स्कूली बच्चियों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्र ने कहा कि सबों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सदैव सजग रहने की जरूरत है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं जिसकी सामान्य जानकारी रखें व गलत कार्यों का हमेशा प्रतिकार करें. उन्होंने कहा कि शिक्षा पाने का अधिकार कानूनी अधिकार है व समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है. सचिव ने कहा कि बाल विवाह का प्रतिकार करें व अपने करियर पर विशेष ध्यान दें. शिविर में पैनल अधिवक्ता एफएम कुशवाहा, संजय कुमार मिश्र के अलावा रिटायर्ड प्रोफेसर रामनंदन सिंह आदि ने मानवाधिकार कानून व डालसा के बारे में जानकारी दी. इस अवसर पर हेडमास्टर राजनारायण खवाड़े, शिक्षक अंबुज मिश्रा, शिक्षिका पूनम मिश्रा, डालसा के सहायक संजय कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे. कार्यक्रम में कई छात्राओं ने अपनी भागीदारी दिखायी.

प्रभात खबर 4/12/19

चांदडीह मूक बधिर स्कूल में लगा कानूनी जागरूकता शिविर

देवघर . दिव्यांगों को सरकार द्वारा हर क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी है जिसका लाभ अवश्य उठायें . साथ ही आम नागरिकों की तरह दिव्यांगों को भी कानून में समान अधिकार प्राप्त है . इसकी जानकारी अवश्य रखें . उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चांदडीह मूक बधिर स्कूल परिसर में आयोजित कानूनी शिविर में डालसा के सचिव प्रताप चंद्र ने कही . उन्होंने कहा कि बुजुर्ग माता–पिता जो इस वृद्धाश्रम में शरण लिये हुए है, उन्हें भी भरण पोषण का कानूनी अधिकार प्राप्त है . इस अवसर पर मूक बधिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मां सरस्वती वंदना व स्वागत गान प्रस्तुत कर सबों को भावुक कर दिया . मौके पर पैनल अधिवक्ता एफ मरीक, संजय कुमार मिश्र, नरेंद्र कुमार, स्कूल के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाओं आदि ने विचार रखे . स्कूल संचालक की ओर से मुहैया कराये गये गर्म कपड़े वितरण किया गया . बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण किया गया . कार्यक्रम सफल बनाने में प्रियेश गुंजन समेत कई पीएलवी मौजूद थे .

कानूनी शिविर में मौजूद डालसा सचिव प्रताप चंद्र व अन्य .

दैनिक जागरण 4/12/19

दिव्यांगों को दी गई कानूनी जानकारी

संसू, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मंगलवार को प्रखंड स्थित चांदडीह मूकबधिर विद्यालय की दिव्यांग बच्चे व बुजुर्गों को कानून की जानकारी दी गई। इस मौके पर डालसा के सचिव प्रतापचंद्र ने कहा कि कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग असहाय नहीं समझें। संविधान में इनके जीने का भी सहारा दिया गया है। इनके लिए भी कानूनी अधिकार हैं। कानून के नजर में सभी लोग समान हैं और सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। बच्चों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से गर्म वस्त्र एवं बुजुर्गों को कंबल प्रदान किया गया। मौके पर प्रशिक्षु सुशीला हांसदा, डालसा के रिमांड अधिवक्ता फाल्गुनी मरीक कुशवाहा, संजय मिश्रा, नरेंद्र कुमार, डालसा के कई सहयोगी तथा विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद थे।

पारिवारिक विवादों का हुआ निष्पादन

संसू, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को न्याय सदन परिसर में विशेष मध्यस्थता अभियान के तहत पारिवारिक विवाद के कुल 12 मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया गया। मामलों को निष्पादन के लिए कुल पांच बेंच लगाए गए थे। फैमिली कोर्ट के द्वारा पहले दिन कुल 26 मामलों को निष्पादन हेतु भेजा गया था जिसमें आपसी सुलह के आधार पर कुल 12 मामलों का निष्पादन किया गया। यह अभियान 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक न्याय सदन परिसर में चलेगा। इसके पूर्व पक्षकारों को तामिला निर्गत किया जा चुका है जिसके आलोक में लोग मामले को निष्पादित कराने में जुटे हुए हैं। इसमें पक्षकारों को पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए वकील को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।

मानवाधिकार दिवस पर कानूनी शिविर आज

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मानवाधिकार दिवस पर 10 दिसंबर को स्थानीय मातृ मंदिर कन्या उच्च विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन दिन के 11.30 बजे से किया गया है. इसमें मानवाधिकार से संबंधित कानूनों के बारे स्कूली छात्राओं को जानकारी दी जायेगी. यह जानकारी डालसा के सचिव प्रताप चंद्र ने दी.

2/12/19 प्रभात खबर

राष्ट्रीय एड्स दिवस पर सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम, कहा

एचआइवी पीड़ितों के प्रति रखें सहानुभूति

- डालसा के प्रभारी सचिव व सिविल सर्जन ने दी जानकारी

संवाददाता ▷ देवघर

राष्ट्रीय एड्स दिवस पर रविवार को सदर अस्पताल के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कानूनी जानकारी भी दी गयी. कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथि डालसा के प्रभारी सचिव मनोज कुमार प्रजापति तथा सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने की. डालसा के प्रभारी सचिव ने एएनएम स्कूल की छात्राओं सहित अन्य को संबोधित करते हुए कहा कि एचआइवी पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखें. एड्स पीड़ितों के लिए कई कानूनी अधिकार दिये गये हैं, जिनकी जानकारी होना आवश्यक है. वहीं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डॉ बीपी सिंह ने भी एचआइवी से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किये. उन्होंने एड्स फैलने तथा उससे बचाव की जानकारी दी. इस अवसर पर सिविल सर्जन ने एड्स पीड़ितों को कंबल वितरण किया. मौके पर डॉ राजीव कुमार, पैनल अधिवक्ता एफएम कुशवाहा, संजय मिश्रा, निरंजन गांगुली, एएनएम स्कूल की शिक्षिका सुलोचना कुमारी, अंजन दुबे, बबलू दास समेत अन्य मौजूद थे.

कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते डालसा के प्रभारीसचिव मनोज कुमार व अन्य.

जागरूकता शिविर का आयोजन

देवघर. विश्व एड्स दिवस के अवसर पर होटल इम्पीरियल हाइट्स में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में एड्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी. इस अवसर पर प्रबंधक राजू चौधरी ने कहा कि एचआइवी पीड़ित व्यक्तियों पर जागरूक हों. वे आगे आएं और अपनी कहानी बताएं ताकि दूसरे मरीज जो एड्स से पीड़ित हैं उन्हें संबल मिले और इलाज के प्रति गंभीर हों. इस मौके पर डॉ जितेंद कुमार ने सारे स्टाफ को एड्स के संबंध में विशेष जानकारी दी. परीक्षण का तरीका बताया व प्रभावित व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, इसके टिप्स दिये.

ऐसा करने से एड्स नहीं होताः एड्स मरीज से हाथ मिलाने से, एड्सग्रस्त व्यक्ति के साथ उठने-बैठने से, एड्स के मरीज को गले लगाने से व मच्छर व मक्खियों द्वारा काट लिए जाने से.

epaper
हिन्दुस्तान

NACE MEMBERSHIP:
Bringing you the resources you need to succeed.
NACE INTERNATIONAL

रैन बसेरा का किया निरीक्षण

देवघर । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चन्द्रा द्वारा मंगलवार को विभिन्न रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने औचक निरीक्षण में प्राइवेट बस स्टैंड के पास उपरी तल में स्थित रैन बसेरा में बिछावन गंदा पाया, जबकि भुरभुरा मोड़ के पास बने रैन बसेरा में एन डी आर एफ का कब्जा व नरेन्द्र भवन के पास बने रैन बसेरा में सुरक्षा बल का कब्जा पाया गया।

छिनतई मामले में परिवाद दायर

देवघर । मारपीट व छिनतई सहित विविध आरोपों को लेकर देवघर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमल रंजन के न्यायालय में एक परिवाद दर्ज कराया गया है। दर्ज परिवाद में पीड़िता द्वारा गणेश सिंह, चिंता देवी, गब्बर सिंह, सुकुमार सिंह, झुम्पा देवी, मामुनी देवी एवं